

संसदीय समितियाँ

यह एडिटरियल 26/03/2021 को 'द हट्टिस्तान टाइम्स' में प्रकाशित लेख "Restoring the broken oversight mechanisms of Parliament" पर आधारित है। इसमें संसदीय समितियों के महत्त्व पर चर्चा की गई है।

भारतीय संसद द्वारा हाल ही में [दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन \(संशोधन\) अधिनियम, 2021](#) पारित किया गया, जो नई दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करता है। उल्लेखनीय है कि व्यापक रूप से परिवर्तनकारी अधिनियम होने के बावजूद इसे विचार हेतु किसी [संसदीय समिति](#) को नहीं भेजा गया था।

- एक संसदीय लोकतंत्र में इस तरह के महत्त्वपूर्ण अधिनियमों को जाँच हेतु संसदीय समितियों को भेजा जाता है। यद्यपि वर्ष 2009 से 2014 के बीच प्रस्तुत अधिनियमों में से 71% को जाँच हेतु संसदीय समितियों को भेजा गया लेकिन वर्ष 2014 से 2019 के बीच यह आँकड़ा केवल 25% रहा।
- संसदीय समितियों को दरकिनार किया जाना भारत में तेज़ी से एक प्रतमान बनता जा रहा है लेकिन लोकतंत्र में संसदीय समिति प्रणाली के महत्त्व को देखते हुए इसे अप्रचलित किये जाने के बजाय मज़बूती प्रदान करने की आवश्यकता है।

संसदीय समितियों का महत्त्व:

- **वधायी विशेषज्ञता प्रदान करना:** अधिकांश संसद उन विषयों के विशेषज्ञ नहीं होते जिन पर चर्चा की जा रही होती है बल्कि वे सामान्य होते हैं जो लोगों के मनोभावों को तो समझते हैं लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों और हतिधारकों की सलाह पर भरोसा करते हैं।
 - संसदीय समितियाँ संसदों को विशेषज्ञता हासिल करने और संबंधित मुद्दों पर विस्तार से विचार करने का समय देती हैं।
- **एक मनी-संसद के रूप में कार्य करना:** ये समितियाँ एक मनी-संसद के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि इनके सदस्य अलग-अलग दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद होते हैं जिनका चयन एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली के माध्यम से (साधारणतया संसद में उनकी संख्या के अनुपात में) होता है।
- **विस्तृत जाँच का साधन:** जब अधिनियम इन समितियों को संदर्भित किये जाते हैं अथवा इनके पास भेजे जाते हैं तो उनकी बारीकी से जाँच की जाती है और इस संबंध में आमजन सहित विभिन्न बाह्य हतिधारकों के विचार आमंत्रित किये जाते हैं।
- **सरकार पर नियंत्रण:** यद्यपि समिति की सफ़ाई सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन इनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उन परामर्शों का एक सार्वजनिक अभिलेख (रिकॉर्ड) तैयार करती है, जो सरकार पर दबाव डालती है कि वह चर्चा योग्य प्रावधानों के संदर्भ में अपने रुख पर पुनर्विचार करे।
 - समिति की बैठकें बंद-दरवाज़ों के भीतर और जनता की नज़र से दूर होने के कारण इनमें होने वाला विचार-विमर्श भी अधिक सहयोगपूर्ण होता है क्योंकि इसमें संसद मीडिया दीर्घाओं का दबाव कम महसूस करते हैं।

संसदीय समितियों को कम महत्त्व दिये जाने से संबद्ध मुद्दे

- **सरकार की संसदीय प्रणाली का कमज़ोर होना:** एक संसदीय लोकतंत्र संसद और कार्यपालिका के बीच शक्तियों को समेकित करने के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन संसद से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह सरकार की ज़िम्मेदारी को बनाए रखने के साथ ही इसकी शक्तियों पर भी नियंत्रण बनाए रखे।
 - इस प्रकार महत्त्वपूर्ण विधानों को पारित करते समय [संसदीय समितियों](#) को महत्त्व न दिये जाने या उन्हें दरकिनार करने से लोकतंत्र के कमज़ोर होने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
- **ब्रूट मेजोरिटी को लागू करना:** भारतीय प्रणाली में यह अनविर्य नहीं है कि अधिनियम समितियों को भेजे जाएँ। यह अध्यक्ष (लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति) के विकल्प पर छोड़ दिया गया है।
 - अध्यक्ष को विकल्पीन शक्ति प्रदान कर इस प्रणाली को विशेष तौर पर लोकसभा में जहाँ बहुमत सत्तापूढ़ दल के पास होता है, को कमज़ोर रूप में प्रस्तुत किया गया है।

आगे की राह

- **चर्चा को अनविार्य करना:** स्वीडन और फनिलैंड जैसे देशों में सभी वधियक समतियों के पास भेजे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वपिक्ष के सदस्यों को शामिल करते हुए वधियक के चयन हेतु एक समति का गठन कया जाता है, इस समति को ऐसे वधियकों को चहिनति करने का काम सौपा जाता है जनिहें समतियों को भेजा जाना चाहयि।
 - संभवतः भारत के लयि भी ऐसा समय आ गया है क समति प्रणाली, जसि अभी तक बहुत अधकि महत्त्व नहीं दया गया, का लाभ उठाने के लयि इस प्रकार का आदेश दया जाए।
 - इसके लयि लोकसभा और राजयसभा दोनों के प्रकरया तथा करय संचालन वषियक नयिमों में संशोधन करना होगा।
- **समय-समय पर समीक्षा:** राष्ट्रीय संवधान करयकरण समीक्षा आयोग (National Commission to Review the Working of the Constitution- NCRWC) के अनुसार, वभिगीय स्थायी समतियों (DRSC) की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहयि ताका ऐसी समतियों के स्थान पर नई समतियाँ बनाई जा सकें जनिहोंने अपनी उपयोगति अथवा सार्थकता से अधकि समय तक काम कया है। उदाहरण के लयि:
 - सलाहकार वशेषज्ञता, डेटा संग्रहण और अनुसंधान सुवधियाँ हेतु उपायों के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वशिलेषण प्रदान करने के लयि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर स्थायी समति।
 - संसद में प्रस्तुत कयि जाने से पहले संवैधानकि संशोधन वधियकों की जाँच हेतु स्थायी संसद समति का गठन।

नषिकर्ष

- महत्त्वपूर्ण वधियकों के लयि जाँच को अनविार्य बनाना वधियाी प्रकरया में बाधा उत्पन्न कयि बगैर कानून की गुणवत्ता और इसके वसितार द्वारा शासन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लयि आवश्यक है। इस प्रकार कानून नरिमाण की प्रकरया में संसद की शुचति सुनश्चिति करने के लयि एक मज़बूत संसदीय समति प्रणाली की आवश्यकता है।

प्रश्न- संसदीय समतियों को कम महत्त्व दयि जाने से वधि नरिमात्री संस्था के रूप में संसद की शुचति नषट होती है। वविचना कीजयि।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/parliamentary-committees-2>

